143

न्यायालयः- राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1385-दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.04.2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना, के प्रकरण कमांक 208/2009-10 अपील

द्रोपती देवी पत्नी बदूरीलाल सखवार निवासी ग्राम सेंथरावाढ़ई तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

--- आवेदिका

बिरूद्ध

1. रणवीर सिंह पुत्र ग्याराम सखवार निवासी ग्राम सेंथरावाढ़ई तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

--- अनावेदक

2. विरलावाई पुत्री रामनिवास सखवार पत्नी रामकिशन सखवार निवासी ग्राम सेंथरावाढ़ई तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.
3. भीखम सिंह पुत्र लेखराज सखवार निवासी ग्राम तेजसिंह का पुर मौजा कनेरा, तहसील बाह जिला आगरा उ.प्र.

--- तरतीवी पक्षकारगण

.....

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी धाकड़)

(अनावेदक कमांक 1 सूचना उपरान्त अनुपस्थित)

(अनावेदक कमांकं 2 व 3 तरतीवी पक्षकार)

.....

आ दे श

(आज दिनांक 7.10-16 को पारित)

अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 208/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.04.2012 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि, ग्राम सेंथरावाढ़ई तहसील पोरसा जिला मुरैना की भूमि सर्वे कमांक 62 रकवा 0.93 हेक्टर में से रकवा 0.35 हेक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के भूमि स्वामी अनावेदक कमांक 2 महिला बिरलावाई पुत्री रामनिवास पत्नी रामकिशन जाति सखवार द्वारा विवादित भूमि को पंजीकत विकय पत्र से आवेदिका द्रोपती देवी पत्नी बदूरीलाल सखवार को विकय की थी। उक्त विकय पत्र के आधार पर द्रोपती देवी ने विवादित भूमि पर नामान्तरण किये जाने बावत् आवेदन पत्र पट्वारी मौजा को पेश किया गया। जिस पर से पंजी पर नामान्तरण किया जाना था। उक्त प्रकरण में आपत्ति आ जाना ने से विवादित मान कर प्रकरण का निराकरण किये जाने बावत् तहसील न्यायालय को भेजा गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 30/2005-06/अ-6 पर दर्ज करते हुये प्रकरण में आई साक्ष्य की विवेचना करने के उपरान्त नामान्तरण नियमों का पालन करते हुये आदेश दिनांक 25.07.2006 से विकय पत्र के आधार पर आवेदिका के हित में नामान्तरण आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2006 से दुखित हो कर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष पेश की गई। जो प्रकरण कमांक 92/अपील/2005-06 पर दर्ज करते हुये, आदेश दिनांक 31.03.2010 से अपील स्वीकार करते हुये तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07. 2006 निरस्त करते हुये विवादित भूमि अनावेदक कमांक 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश किये गये। जिसके विरुद्ध आवेदिका द्वारा अपील अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो प्रकरण कमांक 208/अपील/2009-10 पर दर्ज की जाकर अपील में पारित आदेश दिनांक 12.04.2012 से अस्वीकार की गई। उक्त आदेश से दुखित हो कर निगरानी के स्थान पर अपील प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में बहस के दौरान आवेदक अभिभाषक द्वारा मौखिक निवेदन करने पर अपील के स्थान पर निगरानी में सुनवाई कर निगरानी में निराकरण किया जा रहा है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओ पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि ग्राम सेंथराबाढ़ई तहसील पोरसा जिला मुरैना की भूमि सर्वे कमांक 62 रकवा 0.93 हेक्टर में से रकवा 0.35 हेक्टर के भूमि स्वामी अनावेदक कमांक 2 महिला बिरलावाई पुत्री रामनिवास पत्नी रामकिशन सखवार द्वारा विवादित भूमि को पंजीकत विकय पत्र से आवेदिका द्रोपती देवी पत्नी बदूरीलाल सखवार को विकय की थी। उक्त विकय पत्र के आधार पर द्रोपती देवी ने विवादित भूमि पर नामान्तरण किये जाने बावत् आवेदन पत्र पट्वारी मौजा को पेश किया गया। जिस पर से पंजी पर नामान्तरण किया जाना था। उक्त प्रकरण में आपत्ति आ जाना ने से विवादित मान कर प्रकरण का निराकरण किये जाने बावत् तहसील न्यायालय को भेजा गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 30/2005-06/अ-6 पर दर्ज करते हुये प्रकरण में आई साक्ष्य की विवेचना करने के उपरान्त नामान्तरण नियमों का पालन करते हुये आदेश दिनांक 25.07. 2006 से विकय पत्र के आधार पर आवेदिका के हित में नामान्तरण आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2006 से दुखित हो कर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष पेश की गई। जो प्रकरण कमांक 92/अपील/2005-06 पर दर्ज करते हुये, आदेश दिनांक 31.03.2010 से अपील स्वीकार करते हुये तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2006 निरस्त करते हुये विवादित भूमि अनावेदक कमांक 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश किये गये। जिसके विरुद्ध आवेदिका द्वारा अपील अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो प्रकरण कमांक 208/अपील/2009-10 पर दर्ज की जाकर अपील में पारित आदेश दिनांक 12.04.2012 से अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने यह मान कर कि, विवादित भूमि नाबालिग की है। नाबालिग की भूमि को विकय करने की अधिकारिता नहीं है।

जब तक सक्षम न्यायालय से संरक्षक नियुक्त नहीं हो जाता है। अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने अपने आदेश में यह भी माना है कि, प्रकरण कमांक 84/2003-04/अ-6 से बिरलावाई के हक में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया गया था। उक्त आदेश के बिरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। उक्त आदेश अंतिम होने से अर्थात् तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 31.08.2005 यथावत् है। इस कारण अनावेदक कमांक 2 विकेता राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी लिखा हुआ है। तथा अनावेदक कमांक 1 का कोई हित उक्त भूमि में निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, जो स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा भूल की है क्यों कि, विक्रय पत्र के आधार पर बिरलावाई के हित में तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश दिनांक 31.08.2005 पारित किया गया। उक्त आदेश की अपील की जाना थी। इस कारण आवेदक की निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित नहीं माना जा सकता है।

5/ प्रकरण में आवेदक अभिभाषक की बहस सुनी, निगरानी मेमो में लिखे गये तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया, अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2010 त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालकर विवेचना की गई है। अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने अपने आदेश में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि, प्रकरण में नाबालिग के हितों के विरुद्ध जाकर विचारण न्यायालय द्वारा कार्य किया है। यह सर्वे मान्य सिद्धान्त है कि, नाबालिग का संरक्षक कोई निकटतम परिवार का होता है। उसी अनुसार संरक्षक द्वारा अनावेदक कमांक 2 बिरलावाई को भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय की है। उसका विधिवत् नामान्तरण किया जा कर राजस्व अभिलेख में नाम अंकित है। उक्त भूमि स्वामी द्वारा आवेदिका को भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय की है। जिसके आधार पर तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर साक्ष्य की विवेचना करते हुये आवेदिका के हित में दिनांक 25.07.2006 से

नामान्तरण आदेश पारित किया है। इस कारण अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं और आवेदिका की निगरानी स्वीकार की जावे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जा कर अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा प्रकरण कमांक 92/2005-06/अपील में पारित आदेश दिनांक 31.03.2010 निरस्त किया जा कर न्यायालय तहसीलदार पोरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2006 यथावत् रखते हुये आवेदक का नाम पूर्वत् भूमि स्वामी मान्य करते हुये पटवारी राजस्व अभिलेख में नाम अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर